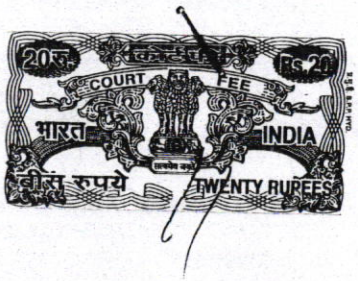

(25)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनर्विलोकन (रिव्यु)

PBR/पुनर्विलोकन/मन्दसौर/भू.रा./2017/4645

श्री बी.एल. कावल्या
द्वारा
दिनांक 10.11.2017

10.11.17

आंजना कंन्सट्रक्शन, केसुंदा, तहसील एवं जिला चित्तोडगढ द्वारा मुख्त्यारआम रामलाल आंजना पिता रतनलाल आंजना निवासी बसाड तहसील व जिला प्रतापगढ राजस्थान ....आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा प्रभारी अधिकारी एवं एस.डी.ओ. राजस्व मंदसौर

2– परिसमापक अधिकारी, दि जीवाजीराव शुगर मिल, क.लि. दलौदा, जिला मंदसौर

3– अनिल कुमार गुप्ता पिता लालदलेलसिंह निवासी उपजेल के सामने मंदसौर जिला मंदसौर

4– महेन्द्र कुमार पिता रूपचन्द्र जैन निवासी धुन्धडका तहसील मंदसौर

5– सोहनलाल सुराना पिता नानालाल सुराना निवासी महु नीमच रोड दलौदा चौपाटी जिला मंदसौर

6– श्री इस्लामुद्दीन अंसारी पिता श्री अब्दुल खलील निवासी महु नीमच रोड दलौदा चौपाटी जिला मंदसौर

7– श्री शिशिर पटवा पिता श्री शांतिलाल पटवा निवासी महु नीमच रोड दलौदा चौपाटी जिला मंदसौर
.... अनावेदकगण

रिव्यु आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

निरंतर...........2

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निम्नांकित पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय विलीप सेवाये विभाग (बैंकिग प्रमाण) अग्रिम ऋण वसुली अधिकरण 797–द्वितीय शांतिकुंज साउथ सिविल लाईन जबलपुर द्वारा डीआरटी/जबलपुर/कोर्ट/2010/1538 दिनांक 11–6–2010 द्वारा तहसीलदार दलौदा को पत्र प्रेषित कर मेसर्स आंजना कंस्ट्रक्शन अनावेदक क्रमांक 1 के नाम का नामांतरण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था और उक्त पत्र के अनुसार सेल सर्टिफिकेट जारी किये गये और सेल सर्टिफिकेट के आधार पर ग्राम धुंधडका स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 1646 से 1651 सर्वे नंबर 1659, 1664, 1727, 1730, 1752, से 1763 कुल रकबा 42.660 हेक्टेयर एवं सर्वे नंबर 210, 216, 217, 920 रकबा 5.780 स्थित ग्राम बानीखेडी जिला मंदसौर एवं सर्वे नंबर 1333 कुल रकबा 21.813 हैक्टैयर स्थित ग्राम दलौदा जिला मंदसौर की भूमि पर सेल सर्टिफिकेट क्रमांक 7/10.8/10.9/10.10/10 एवं 11/11 दिनांक 1–2–2010 के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 ने उपरोक्त भूमि का नामांतरण अनावेदक क्रमांक 1 के नाम से किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ तहसीलदार तहसील दलौदा जिला मंदसौर के न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक 109/अ–6/2009–10 पर पंजीबद्ध किया जाकर उक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2012 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदक पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2012–13 पर अनावेदक क्रमांक 1 विरूद्ध परिसामयक अधिकारी पर दर्ज की जाकर उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–09–2014 को आदेश पारित कर निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–1–2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर नियमानुसार नामांतरण किया जावे। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध एक निगरानी माननीय न्यायलाय मे प्रस्तुत की गई थी। उक्त निगरानी प्रकरण क्रमांक 2312–पीबीआर/2016 पर दर्ज की जाकर उक्त निगरानी आवेदन मे दिनांक 12–7–2017 को आदेश पारित कर यह आदेश दिया गया था कि अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आपत्तिकर्ता सहित माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत रिट याचिका मे उल्लेखित पक्षकारो एवं सभी हितबद्ध पक्षकारगणो को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण मे विधि संगत आदेश पारित करे। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत है:–

निरंतर.....3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन/मंदसौर/भू.रा./2017/4645 [आंजना कुतुबुद्दीन/आजम]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12–7–2017 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2312–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 12–7–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 5 1 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया हैः– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश संलग्न किया गया है, वह मूल प्रकरण में सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया गया था । अतः इस आधार पर यह पुनर्विलोकन ग्राह्य योग्य नहीं है । आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आदेश प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	